डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मार्च, 2020, डिस्पेच दिनांक 1 मार्च, 2020

| वर्ष 63 | अंक 19 | भोपाल | 1 मार्च, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

सहकारिता आन्दोलन के विकास में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण गतिविधियों की सक्रिय भूमिका

सहकारिता मंत्री माननीय डा. गोविन्द सिंह द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर का अवलोकन

जबलपुर। सहकारिता आन्दोलन के विकास में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण गतिविधियों की सक्रिय भूमिका है और इस भूमिका का निर्वाह म.प्र. राज्य सहकारी संघ और उसके सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र निष्ठापूर्वक कर रहे हैं ये विचार प्रदेश के सहकारिता एवं सामान्य प्रशासन मंत्री माननीय डा. गोविन्द सिंह ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर का अवलोकन करते हुए व्यक्त किये। इस अवसर माननीय मंत्री जी ने केन्द्र भवन का अवलोकन करते हुए प्राचार्य कार्यालय छात्रावास, प्रशिक्षण कक्ष, कंप्यूटर कक्ष की व्यवस्थायें देखी एवं संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कंटगा स्थित प्रस्तावित भवन निर्माण के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जबलपुर जिले के सहकारी आन्दोलन की भी चर्चा की। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने माननीय सहकारिता मंत्री डा. गोविन्द सिंह सहित अतिथियों का स्वागत किया।

माननीय मंत्री जी के साथ डा. मदन गोस्वामी, डा. सुशील राय, श्री मनोज सिंह ठाकुर एवं मुख्यालय भोपाल से संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री अरविन्द सिंह सेगर, श्री पी.के. सिद्धार्थ संयुक्त आयुक्त जबलपुर, उपआयुक्त सहकारिता श्री शिवम मिश्रा तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के व्याख्याता श्री शशिकान्त चतुर्वेदी, श्री व्ही.के. बर्वे, श्री रितेश कुमार, श्री चेतन गुप्ता प्रशिक्षक श्री एन.पी. दुबे लेखापाल, श्री पीयूष राय उपस्थित थे।

अनियमिततायें बरतने वाली गृह निर्माण सहकारी समितियों पर सख्त कार्यवाही करें

सहकारिता मंत्री डॉ. सिंह जबलपुर में सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा बरती जाने वाली अनियमितताओं पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं । संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में डॉ. सिंह ने कहा कि अनियमितता करने वाले एवं आडिट हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने वाले सभी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के विरूद्ध न केवल कठोर कार्यवाही होनी चाहिए बल्कि उनके विरूद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जाये।

सहकारिता मंत्री ने समितियों के अंकेक्षण और निरीक्षण के कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध भी कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की हिदायत देते हुए अधिकारियों–कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की चेतावनी भी दी । उन्होंने विभागीय कार्यों के साथ–साथ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अमानत वृद्धि एवं ऋण वसूली की स्थिति की समीक्षा भी इस बैठक में की ।

इस बैठक में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी समितियों डॉ एम.के. अग्रवाल, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक प्रदीप नीखरा, अपर आयुक्त सहकारिता आर.सी. घिया, संयुक्त आयुक्त सहकारिता अरविंद सिंह सेंगर एवं सयुंक्त आयुक्त सहकारिता जबलपुर संभाग पी.के. सिद्धार्थ तथा जबलपुर संभाग के समस्त जिलों के उपायुक्त सहकारिता एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में जबलपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेन्द्र राय एवं संयुक्त संचालक ग्राम एवं निवेश विभाग उपस्थित रहे।

श्री उमाकांत उमराव द्वारा प्रमुख सचिव सहकारिता एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण का कार्यभार ग्रहण

भोपाल। श्री उमाकांत उमराव द्वारा प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण एवं सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया हैं। पहले अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र–संस्करण और श्री अजीत केसरी सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव थे तथा श्री उमाकांत उमराव (1996) वि.क.अ.–सह–अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास थे।

राज्य सहकारी संघ के प्राधिकृत अधिकरी का भी श्री उमाकांत उमराव ने कार्यभार ग्रहण कर लिया हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न

इन्दौर। म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, किला मैदान, इन्दौर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंर्तगत आरपीएल रिटेल विषय पर इन्दौर व भोपाल संभाग के विभिन्न जिलो की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के उत्तीर्ण विक्रेताओं के लिये प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 24 फरवरी 2020 को केन्द्र परिसर में किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जगदीश कन्नौज, संयुक्त आयुक्त सहकारिता व विशेष अतिथि श्री एम. एल. गजभिये, उप आयुक्त सहकारिता इन्दौर ने दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम का

शुभारम्भ किया व प्रशिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किये। श्री कन्नौज द्वारा योजना के महत्व को समझाया गया व प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। **(शेष पृष्ठ 2 पर)**

कार्यालय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र.
विन्ध्याचल भवन, भोपाल – 462004

(ई–मेलः– rcs.audit@mp.gov.in दूरभाष नम्बर – 0755–2551098)

क्रमांक/अंके./02/2020/164 भोपाल, दिनांक 19/02/2020

प्रति,

1. अध्यक्ष/प्रबंध संचालक/
   मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक,
   समस्त सहकारी संस्थायें,
   मध्य प्रदेश।
2. समस्त
   संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त
   सहकारिता म.प्र.

विषयः– संस्थाओं के वित्तीय पत्रकों में अवास्तविक आय को सम्मिलित कर आयकर भुगतान से संस्था को पहुंचायी गई हानि के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्रांक क./अंके./6/700 दिनांक 02.08.2018

---00---

1. म.प्र.राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 43–क में सकल लाभ में से किये जाने वाले प्रावधानों के संबंध में उल्लेख किया गया है जिसमें कालातीत राशियों के विरूद्ध भी प्रावधान किये जाने हैं जिससे संस्था की लाभ–हानि एवं आय की वास्तविक स्थिति का चित्रण हो सके।

2. संपरीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आये हैं कि अनेक संस्थाओं द्वारा अपने वित्तीय पत्रको में वसूली हेतु शेष रही कालातीत राशियों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 43–क के तहत आवश्यक प्रावधान डूबंत निधि में नहीं किये जा रहे हैं तथा अप्राप्त कालातीत ब्याज के विरूद्ध भी कालातीत ब्याज ऋण/अग्रिम निधि में समतुल्य राशि का प्रावधान नहीं किया जाकर संस्था को हानि में होते हुये भी अवास्तविक आय से लाभ में दर्शाया जा रहा है अथवा लाभ को जानबूझकर बढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हानि में होते हुये भी संस्था को आवश्यक प्रावधान नही किये जाकर लाभ में दर्शाया जाने से एक ओर जहां संस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी सदस्यों एवं अन्य नियामक संस्थाओं को ज्ञात नहीं हो पाती है वहीं ऐसी स्थितियों में अनावश्यक रूप से आयकर का भी भुगतान करना पड़ रहा है।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं द्वारा गैर–सहकारी संस्थाओं में निवेश किया जा रहा है जिससे उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80 पी 2 डी के तहत आयकर से प्राप्त होने वाली छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्रांक/सारा/ए.पी./2017/3528 दिनांक 18.10.2017 से सभी सहकारी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी जमा राशियां सहकारी बैंकों में ही रखे परन्तु अनेक संस्थाओं द्वारा ऐसा नहीं किये जाने से अनावश्यक रूप से आयकर की देयता के कारण संस्था को हानि पहुंचायी जा रही है। वित्तीय पत्रकों में देयता पक्ष में भी जमा राशियों पर देय ब्याज आदि का प्रावधान नहीं करने से भी लाभ को बढ़ाकर दर्शाया जा रहा है जिसके कारण भी आयकर का भुगतान करना पड़ रहा है।

4. आयकर अधिनियम की धारा 80 पी के अधीन आने वाली ऐसी सहकारी संस्थायें जो कि अपने सदस्यों से वित्तीय संव्यवहार से आय प्राप्त करती है पर आयकर की छूट है परन्तु वित्तीय वर्ष 2018–19 में यह प्रावधान किया गया है कि उक्त संस्थाओं को आयकर का रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है परन्तु अधिकांश संस्थाओं द्वारा रिटर्न फाइल नहीं किया जा रहा है जिसके कारण उनपर दंड अधिरोपित किया जा रहा है।

5. इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि जान–बूझकर लाभ को बढ़ाकर दर्शाये जाने तथा आवश्यक प्रावधान नहीं करने के कारण तथा रिटर्न समय पर फाइल नहीं करने के कारण संस्था को जो आयकर का भुगतान करना पड़ रहा है उसके लिये संस्था के लेखाधिकारी तथा निर्णय प्रकिया से संबद्ध अन्य कर्मचारी/अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

6. संभागीय एवं जिला अधिकारी अंकेक्षण के दौरान यह सुनिश्चित करावेंगे कि यदि किसी संस्था में लाभ को अनावश्यक रूप से बढ़ाकर दर्शाया गया है तथा इसके कारण आयकर की देयता बनी है तो जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आयकर की इस देयता के कारण पहुँचायी गई हानि की प्रतिपूर्ति के लिये धारा 58 बी के तहत प्रकरण तैयार कराया जावे। संपरीक्षक के द्वारा ऐसा प्रतिवेदन संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(डॉ. एम.के. अग्रवाल)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें म.प्र.

मंत्री श्री पटवारी ने 1599 किसानों को दिये 10.62 करोड़ फसल ऋण माफी प्रमाण-पत्र

भोपाल। उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने अपने प्रभार के जिला देवास में हाटपिपलिया कृषि उपज मंडी प्रांगण में **जय किसान फसल ऋण माफी** योजना में द्वितीय चरण में 1599 किसानों को 10 करोड़ 62 लाख रुपए के ऋण माफी प्रमाण–पत्र वितरित किए। उन्होंने बताया कि दो चरणों में देवास जिले के लगभग एक लाख किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सोच है कि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का बिजली का बिल आधा कर दिया गया है।

मंत्री श्री पटवारी ने बताया कि गाँव की समस्याओं का गाँव में ही समाधान करने के लिए **आपकी सरकार–आपके द्वार** कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले वर्ष एक हजार गौ–शालाएँ स्वीकृत कीं। अब दूसरे साल 3 हजार गौ–शाला खोलने का निर्णय लिया गया है। देवास जिले में पहले वर्ष 30 गौ–शालाएँ स्वीकृत की गई। दूसरे साल में 90 गौ–शालाएँ और बनाई जाएंगी।

मंत्री श्री पटवारी ने स्थानीय शासकीय महाविद्यालय में भवन नवीनीकरण, इंडोर स्टेडियम, लैब आदि निर्माण कार्य और नेवरी–चापड़ा मार्ग का कार्य शीघ्र शुरू कराने का आश्वासन दिया।

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रधानमंत्री कौशल विकास ....

श्री गजभिये द्वारा राज्य संघ के अभिनव प्रयास की सराहना करते हुऐं सहकारिता के लिये नये नये विषयो पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया गया। राज्य संघ, के राज्य समन्वयक श्री संतोष येडे द्वारा राज्य संघ द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम व उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन श्री निरंजन कुमार कसारा, प्राचार्य द्वारा किया गया व आभार योजना के ट्रेनर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा व्यक्त किया गया।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना का दूसरा चरण

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में ऋण माफी की राशि किसानों के खाते में जमा करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। प्रदेश केजिलों में लाभान्वित किसानों को तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ऋण माफी तथा किसान सम्मान पत्र का वितरण किया जा रहा है।

भिण्ड जिले में अब तक 3998 किसानों का 27 करोड़ 86 लाख रूपये से अधिक का ऋण हुआ माफ

मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने मेहगाँव में किसानों को ऋण माफी तथा किसान सम्मान पत्र का किया वितरण

ग्वालियर। भिण्ड जिले के मेहगाँव में सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविन्द सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक श्री ओपीएस भदौरिया की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया है। उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण की द्वितीय किस्त अंतर्गत भिण्ड जिले की समस्त तहसीलों के कुल मिलाकर 2 हजार 198 किसानों का 15 करोड़ से अधिक के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किये। जिले में इस योजना के अन्तर्गत दूसरे चरण में अब तक भिण्ड जिले के 3 हजार 998 किसानों का 27 करोड़ 86 लाख रूपये से अधिक का ऋण माफ किया गया है।

इस अवसर पर आयोजित समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामनारायण हिण्डोलिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री जयश्रीराम बघेल, कलेक्टर श्री छोटेसिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, एसडीएम मेहगांव श्री गणेश जायसवाल, एसडीएम भिण्ड श्री इकबाल मोहम्मद, जिला एवं जनपद पंचायतो के सदस्यगण, सरपंच, सचिव, किसान भाई, पत्रकार, अन्य जनप्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित थे।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने कहा कि प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का पहला चरण संपन्न हो चुका है। पहले चरण में भिण्ड जिले के 26 हजार 477 किसान लाभान्वित हुए हैं। इनका 86 करोड़ 69 लाख रूपये का ऋण माफ किया जा चुका है।

उन्होंने बताया की जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में भिण्ड जिले में अब तक 3998 किसानों का 27 करोड 86 लाख रूपये से अधिक का ऋण माफ हुआ है। मंत्री डॉ गोविन्द सिंह कहा कि इस कार्यक्रम से जिले की समस्त तहसीलों के कुल 2198 किसान भाइयों का 15 करोड़ से अधिक का फसल ऋण माफ किया जाकर उन्हें ऋण माफी प्रमाण पत्र, किसान सम्मान पत्र एवं नो ड्यूज का वितरण भी किया जा रहा है। मंत्री ने बताया की अभी तक भिण्ड जिले के 30 हजार किसानो का 114 करोड से अधिक का ऋण माफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश ही नहीं देश में अपने तरह की अनूठी योजना है। डॉ सिंह ने कहा कि प्रदेश में किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 600 रूपये प्रतिमाह की गई है।

मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने कहा कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सुशासन लाया जा रहा है। ग्रामीणों की समस्याएं अब स्थानीय स्तर पर ही निराकृत हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कहा है वह किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा दिये गये सभी वचन कारगर रूप से पूरे किये जा रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलवाने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को भी गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और अन्य कृषि आदान उपलब्ध कराये जा रहे है।

उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले, इसके लिये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मेहगांव क्षेत्र के विधायक श्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना ने किसानों की तरक्की के नये द्वार खोलें हैं। किसानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

बैरसिया के किसानों का साढ़े 21 करोड़ से अधिक कर्ज माफ

किसान प्रदेश के विकास के शिल्पकार– प्रभारी मंत्री डॉ. सिंह

भोपाल। भोपाल जिले के प्रभारी और प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा है कि प्रदेश के विकास के शिल्पकार और अर्थव्यवस्था को गति देने वाले किसानों की बेहतरी मध्यप्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। मंत्री डॉ सिंह जय किसान फसल ऋण मॉफी'' योजनांतर्गत बैरसिया तहसील के ग्राम पंचायत दिल्लौद में 3175 किसानों के 21 करोड़ 60 लाख रूपये के ऋण माफ करने के बाद प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनसम्पर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा भी उपस्थित थे और उन्होंने भी किसानों को ऋण मॉफी के प्रमाण पत्र वितरित किये।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

राघौगढ़ में आयोजित ऋणमाफी कार्यक्रम में

1221 कृषकों के 9 करोड़ 7 लाख रूपये के ऋण माफ

गुना। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के ऋण माफ किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की महत्वांकाक्षी योजना जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत कृषक लाभांवित हो रहे हैं। इस आशय के विचार प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने गुना जिले के तहसील राघौगढ में आयोजित जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत कृषकों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए।

इस अवसर पर कृषकों को संबोधित करते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने वचनपत्र में किए वादे जय किसान फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन हेतु संकल्पित है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 50 हजार रूपये तक के ऋण माफ किये गये। द्वितीय चरण में 50 हजार से एक लाख तक के ऋण माफ कृषकों के किये जा रहे हैं। तृतीय चरण में एक लाख से 2 लाख तक के फसल ऋण माफ किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। गरीबों एवं किसानों के लिए उनके उत्थान हेतु दृढसंकल्पित है। अन्न–दाता के आर्थिक सुदृढता के लिए हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। शासन द्वारा किसान हितैषी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर लाभ दिलाया जा रहा हे। खेती को बढावा देकर उन्नत एवं जैविक कृषि की ओर कृषकों को अग्रसर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का काम ऋण माफी योजना कर रही है। उन्होंने कहा कि लाभांवित कृषकों के चेहरों पर खुशी और प्रसन्नता देखकर ऐसा लग रहा है जैसा कि मेरा कर्ज माफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ कराकर प्रदेश सरकार ने अपना वादा निभाया है। उन्होंने बताया कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत गुना जिले में प्रथम चरण में कुल 17698 पात्र कृषकों के 95 करोड़ 24 लाख रूपये की राशि के ऋण माफ किये जा चुके हैं। जिसमें राघौगढ तहसील के कुल 1623 कृषकों के 6 करोड़ 25 लाख रूपये के ऋण माफ किये जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में गुना जिले में 9249 पात्र कृषकों के 69 करोड़ रूपये की राशि के ऋण स्वीकृत होकर माफ किये जा रहे हैं। द्वितीय चरण में राघौगढ तहसील के 1221 कृषकों के 9 करोड 7 लाख रूपये के ऋण माफ किये गये हैं। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाभांवित कृषकों को मंच से प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह द्वारा फसल ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में तहसील राघौगढ के समस्त ग्राम पंचायतों से पात्र कृषकों को एक–एक कर मंच पर बुलाकर प्रमाण–पत्र ससम्मान प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री ब्रजेश शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह धाकरे, जनप्रतिनिधि, बडी संख्या में कृषकगण उपस्थित थे।

बैतूल जिले में कुल 78 हजार 159 किसानों के करीब 265 करोड़ के ऋण माफ

भोपाल। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने बैतूल जिले के ग्राम मासोद में **जय किसान फसल ऋण माफी योजना** में पात्र किसानों को ऋण माफी के प्रमाण–पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक श्री अरूण गोठी और जिला योजना समिति के सदस्य श्री सुनील शर्मा उपस्थित थे।

मंत्री श्री पांसे ने कहा कि बैतूल जिले में प्रथम चरण में मार्च 2019 तक 65 हजार 947 किसानों के 183 करोड़ के फसल ऋण माफ किये गये। द्वितीय चरण में जनवरी 2020 तक 12 हजार 212 किसानों के 81 करोड़ से अधिक की ऋण माफी की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार जिले में प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 78 हजार 159 किसानों के करीब 265 करोड़ के ऋण माफ किये गये।

मंत्री श्री पांसे ने कार्यक्रम में कृषक छोटेलाल पिता बिहारी को 75 हजार 914, मसतराम पिता बलिराम 98 हजार 154, जोगीलाल पिता रामलाल 98 हजार 273, दुर्गेश पिता तुकाराम 98 हजार 68 रूपए, दिलीप पिता सरजेराव 1,39,288, मुरली पिता मनोहर 1,59,617, श्रीमती सकुबाई पति नब्बू 82,579 एवं श्रीमती सरस्वती पति मिट्ठू को 97 हजार 913 रूपए के फसल ऋण माफी प्रमाण–पत्र वितरित किये।

(पृष्ठ 3 का शेष)

बैरसिया के किसानों का साढ़े 21 करोड़ ....

सहकारिता मंत्री श्री सिंह ने कहा कि शासन ने ऋण माफ कर किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। किसानों के लिये सिंचाई, बिजली, खाद–बीज आदि आवश्यकताओं की सरलता से पूर्ति सुनिश्चित की है। मंत्री श्री सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुये कहा कि प्रथम चरण में किसानों के 50 हजार रूपये तक के ऋण माफ किये गये थे। उन्होंने कहा कि तहसील बैरसिया के सहकारी बैंको के 2262 तथा कमर्शियल बैंकों के 743 किसानों के कुल 21 करोड़ 60 लाख रूपये माफ किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि किसानों को अधिक से अधिक मजबूत और सशक्त बनाया जाए। किसान मेहनत से अन्न उत्पन्न करता है, यह देश–प्रदेश के विकास के मुख्य स्त्रोत है, इन्हें हर योजना से लाभान्वित करना हमारा उद्देश्य है। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

संसदीय कार्य एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा ने जन समुदाय को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है, यह वह सरकार है जो देश में ऐसी सरकार है, जिन्होंने प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया है और निरंतर किसान के हित में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि बैरसिया को और अधिक विकसित किया जायेगा। आसपास के क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर रोजगार के नये अवसर सृजन किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बैरसिया में स्थित तरावली मंदिर का जीर्णोद्धार तथा उसे अधिक विकसित किया जायेगा। प्रदेश के हर वर्ग को शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाया जायेगा। जय किसान फसल ऋण मॉफी सरकार की मंशा किसानों को मजबूत बनाना है। श्री शर्मा ने कहा कि किसान मजबूत होगा तभी प्रदेश मजबूत बनेगा।

इस मौके पर कर्ज माफी से प्रसन्न किसानों ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वे काफी आसानी से खेती कर पायेंगे। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नागर, विधायक श्री खत्री ने भी संबोधित किया।

मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह और श्री सचिन यादव द्वारा फ़सल ऋण माफी प्रमाण–पत्र वितरित

भोपाल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री सचिन सुभाष यादव और नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने आगर–मालवा जिले की बड़ौद तहसील में जय किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत किसानों को फसल ऋण माफी प्रमाण–पत्र वितरित किये। मंत्रीद्वय ने किसानों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

योजना के द्वितीय चरण में आगर–मालवा जिले में 2690 पात्र किसानों के 18 करोड़ 36 लाख रुपए के ऋण माफ किये गये हैं।

ऋण माफी योजना अंतिम लक्ष्य नहीं : कृषि मंत्री श्री यादव

भीकनगांव के 5382 किसानों का फसल ऋण हुआ माफ

खरगोन। प्रदेश के कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री सचिन यादव ने भीकनगांव में जय किसान फसल माफी योजनांतर्गत आयोजित हुए प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का ऋण माफ करना किसान के हित में अंतिम लक्ष्य नहीं है। शासन ने तय किया है कि कृषि आधारित इस प्रदेश में जब तक किसानों को उनकी उपज का उचित दाम नहीं मिलता, तब तक किसानों की बेहतर स्थिति संभव नहीं है। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले इसके लिए न सिर्फ कृषि लागत कम की जाए, बल्कि उनकी उपज की उचित भंडारण की व्यवस्था करना भी शासन के संज्ञान में है। इस दिशा में सरकार जल्द ही अपना प्रारूप लेकर आने वाली है। जहां तक किसानों की कृषि में लागत कम करने का प्रश्न है, इसके लिए सरकार ने किसानों के बिजली बिल हाफ किए है। इसके अलावा कृषिगत कार्यों में यंत्र आधारित योजनाओं में उनको प्रदाय किए जाने वाला अनुदान 50 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों का मुआवजा प्रदान करना भी शामिल है। कार्यक्रम भीकनगांव में खरगोन रोड़ स्थित कृषि फार्म हाउस में आयोजित किया गया। इस दौरान भीकनगांव एसडीएम भूरला सोलंकी, खरगोन एसडीएम अभिषेक गेहलोत, मंडलेश्वर एडीएम आनंद राजावत, कृषि उप संचालक एमएल चौहान, उद्यानिकी उप संचालक केके गिरवाल उपस्थित रहे।

चरणबद्ध तरीके से ऋण माफ किए गए,ताकि दायरा बढ़ा सके

कृषि मंत्री श्री यादव ने कहा कि सरकार बनने के पश्चात शपथ ग्रहण करते ही किसानों के ऋण माफ करने के आदेश दिए गए। मप्र पूरी तरह कृषि आधारित प्रदेश है। साथ ही भौगोलिक विस्तार होने के साथ–साथ अन्य भी कारण रहे है, जिसको लेकर योजना का विस्तृत रूप सामने आता है। इसलिए सरकार ने तय किया कि योजना का दायरा बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव व किसान तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहां केवल सहकारी संस्थाओं से फसल ऋण नहीं लिया जाता, ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी किसान समय–समय पर ऋण लेते है। इसलिए शासन ने चरणबद्ध तरीके से किसानों की ऋण माफ करने की एक निर्विवाद प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें प्रथम चरण में पूरे प्रदेश में 20 लाख 22 हजार 731 किसानों के 7154 करोड़ रूपए के फसल ऋण माफ

हुए है। इसी तरह द्वितीय चरण में 703129 किसानों के 4489 करोड़ रूपए के ऋण माफी की स्वीकृति प्रदान की गई है। द्वितीय चरण में खरगोन के 39325 किसानों के 291.9 करोड़ रूपए फसल ऋण माफ किए जा रहे है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक श्रीमती झूमा सोलंकी ने कहा कि किसानों के खातों में फसल ऋण माफी योजनांतर्गत राशि आ जाने के बाद ही कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रथम चरण में भीकनगांव विधानसभा के 17132 किसानों के 108 करोड़ के फसल ऋण माफ किए गए है। वहीं द्वितीय चरण में 5382 किसानों के 42.52 करोड़ रूपए के ऋण माफ किए गए है। कार्यक्रम में खरगोन विधायक श्री रवि जोशी ने कहा कि किसान चिंता न करें। एक–एक ऋणी किसान का कर्ज माफ किया जाएगा। मंच से किसानों के संबंध में मांग रखते हुए विधायक श्री जोशी ने कहा कि किसानों को रोज पैसा मिले, ऐसे प्रयास सरकार कृषि विभाग के माध्यम से करें, चाहे वह फल, सब्जी की योजना हो या दुग्ध व्यवसाय की।

संस्थावार बनाए गए स्टॉल

जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत किसानों को सांकेतिक रूप से कृषि मंत्री श्री यादव द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इनमें शकरगांव के संजय, शंकर छीतू, सुजाता, लवाबाई, अंतरसिंह मोहन, संजय मथुरालाल, जीवनलाल को प्रदान किए गए। जबकि अन्य किसानों को वितरण के लिए भीकनगांव विधानसभा में आने वाली सहकारी संस्थावार स्टॉल लगाए गए, जहां से किसानों को प्रमाण पत्र वितरित करने में सुविधा हुई। कार्यक्रम स्थल पर आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 477 नागरिकों ने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। प्रभारी जिला आयुष अधिकारी डॉ. संतोष मौर्य, डॉ. मुकाती, डॉ. मंडलोई, डॉ. सिसोदिया ने स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद निःशुल्क दवाईयों का वितरण भी किया। कृषि मंत्री श्री यादव ने 20 किसानों को मंच से ग्रीष्मकालीन 4–4 किलों के मूंग बीज वितरित किए। वहीं करीब 10 किसानों को मल्टी टूल्स और ऊंटखेड़ा के सुगरिया पिता नानका तथा सोनखेड़ी के चुन्नीलाल पिता चिनहान्या को डीबीटी योजनांतर्गत 2 लाख 50 हजार रूपए के अनुदान पर ट्रेक्टर प्रदान किया।

67 हजार 810 रूपए का फसल ऋण माफ होने से खुश है श्री रतिराम

अशोकनगर। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए प्रारंभ की गई जय किसान फसल ऋण माफी योजना लाखों किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अशोकनगर जिले के ग्राम जारोली बुजुर्ग निवासी किसान श्री रतिराम अहिरवार भी उन लाखों किसानों में शामिल हैं, जिनका जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफ हुआ है। किसान श्री रतिराम का कहना है कि बैंक का ऋण चुकाने के लिए वे एवं उनका परिवार हमेशा चिंताग्रस्त रहता था लेकिन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने उनका 67 हजार 810 रूपए का फसल ऋण माफ कर उन्हें ऋण चुकाने की चिंता से मुक्त कर दिया है। अब वह बिना किसी चिंता के खेती कर पा रहे हैं।

प्रदेश सरकार किसान ऋम माफी की ओर अग्रसर : विधायक श्री यादव

अशोकनगर। प्रदेश सरकार द्वारा अपने वचन पत्र में किये गये वादे निभाने की ओर निरंतर अग्रसर हो रही है। इसी क्रम में जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत प्रथम चरण के पश्चात अब द्वितीय चरण में 50 हजार से लेकर 01 लाख रूपये तक के ऋण किसानों के माफ किये जा रहे है। इस आशय के विचार मुंगावली विधायक श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने मुंगावली के मंडी प्रांगण में आयोजित जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत कृषकों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ.मंजू शर्मा ने की।

मुख्य अतिथि विधायक श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने कहा प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। जो वादा किसानों से किया था,उस वादे को तीन चरणों में पूरा करने की ओर अग्रसर हो रही है। प्रथम चरण में जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत 50 हजार रूपये तक ,द्वितीय चरण में 01 लाख रूपये तक किये जा रहे है तथा तृतीय चरण में 02 लाख रूपये तक के ऋण माफ किये जायेगें। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऋण माफी के लिए राशि की उपलब्धता के लिए सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्ज मुक्त होने पर किसान सम्पन्न और समृद्ध होगा। साथ ही बेहतर कृषि की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है,उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि किसानों के हित के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ कृषकबंधु उठायें और अपने जीवन को संवारे।

कलेक्टर डॉ.मंजू शर्मा ने कहा कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को चरणबद्ध रूप से ऋण माफी का लाभ दिया जा रहा है।साथ ही उनके खातों में ऋण माफी की राशि डाली जा रही है। उन्होंने बताया कि जय किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत जिले में कुल 54376 पंजीकृत कृषक है। प्रथम चरण में 12070 किसानों को 52 करोड़ रूपये की राशि के ऋण माफ किये गये है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में 7205 किसानों को 52 करोड़ 35 लाख रूपये की राशि के ऋण माफ किये जा रहे है। जिसकी शुरूआत तहसील मुंगावली से की गई है। तहसील मुंगावली में 1490 कृषकों को 10 करोड़ रूपये की राशि के ऋण माफ किये गये हैं।

कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी के द्वितीय चरण के पात्र कृषकों को ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। प्रतीक स्वरूप ग्राम बरखेडा भोगी के निवासी चंदन सिंह दांगी,ग्राम टीला निवासी बद्रीप्रसाद यादव एवं रामसिंह यादव,ग्राम घाटबमुरिया निवासी रामसिंह दांगी,ग्राम गीलारोपा निवासी राजेश,ग्राम हारूखेडी निवासी मन्नासिंह यादव,ग्राम जारोली बुजूर्ग निवासी ऊधम सिंह अहिरवार,ग्राम गुपलिया निवासी कमलसिंह यादव,ग्राम किरोला निवासी घूमनसिंह लोधी,ग्राम जारोली निवासी रतिराम अहिरवार को ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण मौके पर मंच से किया गया।

कार्यक्रम में जय किसान फसल ऋण माफी के बारे में उप संचालक कृषि श्री एस.के.माहौर ने प्रकाश डाला।

हुनरमंद बुनकरों, कारीगरों को निरंतर मिलेगा प्रोत्साहन

शिल्पियों का पुरस्कारों से सम्मान

भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव ने भोपाल हाट में नेशनल हैण्डलूम एक्सपो के समापन अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य–स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किये। उन्होंने कहा कि माटी शिल्प, बांस शिल्प, काष्ठ कला, बुटिक प्रिंट, गोंडी चित्रकला, ब्लॉक प्रिंट, जूट शिल्प और ऐसी ही अन्य हस्तकलाओं के प्रतिभावान कलाकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने कलाकृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि वर्ष 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिये निर्णायक मंडल द्वारा शिल्पियों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत करने का कार्य प्रदेश की नई सरकार ने किया है। इससे शिल्पियों और कलाकारों को अपनी कला में सुधार और विक्रय से आर्थिक उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में बुनकरों को प्रशिक्षण और वर्कशेड उपलब्ध करवाने पर ध्यान दिया गया है। उनके उत्पादों के विक्रय और विपणन के लिये भी आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में उनकी कलाकृतियों के प्रदर्शन के माध्यम से कलाकारों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री यादव ने स्मारिका का विमोचन किया। मंत्री श्री यादव ने वर्ष 2017–18 के कबीर बुनकर पुरस्कार के लिये श्री अब्दुल रहीम चंदेरी (अशोकनगर) को प्रथम, मो. आरिफ खान महेश्वर (खरगोन) को द्वितीय और अशोक कुमार कोली चंदेरी (अशोकनगर) को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। इसी वर्ष के राज्य–स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार से सुश्री समरीन नाज, इंदौर को प्रथम श्री फारूख खत्री बाग (धार) और राजीव नाफडे होशंगाबाद को पुरस्कृत किया गया।

वर्ष 2018–19 के राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार से भोपाल की श्रीमती नीतू यादव को प्रथम, ग्वालियर के श्री सौरभ राय को द्वितीय और उज्जैन के मो. वसीम छीपा को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

वर्ष 2019–20 के राज्य स्तरीय विश्वकर्मा पुरस्कार से उज्जैन की नाजिश बी छीपा को प्रथम, बैतूल के अनिल बागमारे को द्वितीय और ग्वालियर के कार्तिके विश्वकर्मा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। प्रोत्साहन पुरस्कार में 2018–19 के लिये बैतूल के ललित सोनी, उज्जैन की श्रुति गोखले, बाग (धार) के मो. काजिम खत्री और भोपाल के श्री मधुलाल श्याम को पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2019–20 के प्रोत्साहन पुरस्कार के लिये ग्वालियर के श्री नानक माहोर को प्रथम, ग्वालियर के ही श्री शम्मी विश्वकर्मा को द्वितीय और उज्जैन के श्री हयात गुट्टी को पुरस्कृत किया गया।

मंत्री श्री यादव ने हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा बच्चों के लिये आयोजित की गई चित्रकला प्रतियोगिता में श्रेष्ठ चित्र बनाने वाले बच्चों को दो श्रेणियों में पुरस्कृत किया। इन बच्चों में मीत चावला प्रथम, अंतरिक्ष सेठिया एवं शीतल गुप्ता द्वितीय, तरन्नुम शेख तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत हुए। हैण्डलूम एक्सपो में श्रेष्ठ स्टॉल डिस्प्ले के लिये मनीष सोनगरे और आकांक्षा चौरसिया को पुरस्कार प्रदान किया गया। आयुक्त हस्तशिल्प श्री राजीव शर्मा उपस्थित थे।

मंत्री श्री सचिन यादव ने पात्र किसानों को दिये फसल ऋण माफी प्रमाण-पत्र

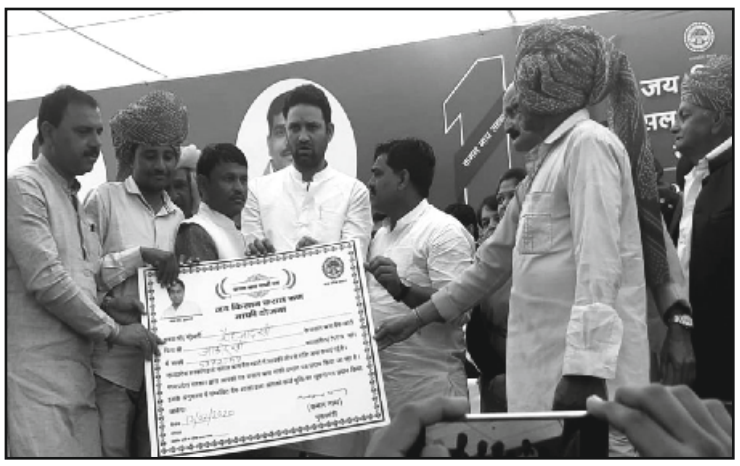

भोपाल। किसान–कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव अपने प्रभार के जिला रतलाम में सैलाना और ताल क्षेत्र में आयोजित **जय किसान फसल ऋण माफी** योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री यादव ने योजनांतर्गत पात्र किसानों को ऋण माफी के प्रमाण–पत्र और सम्मान–पत्र सौंपे। विधायक श्री हर्ष विजय गहलोत और श्री मनोज चावला तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री डी.पी. धाकड़ कार्यक्रम में उपस्थित थे।

मंत्री श्री यादव ने किसानों को राज्य सरकार के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऋण माफ कर किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। किसानों के लिये सिंचाई, बिजली, खाद–बीज आदि आवश्यकताओं की सहजता से पूर्ति सुनिश्चित की है।

मंत्री श्री यादव ने ताल क्षेत्र में नव–निर्मित आँगनवाड़ी भवनों और गौ–शालाओं का लोकार्पण और सड़क का भूमि–पूजन किया। उन्होंने ग्राम आबूपुरा और खजूरी देवड़ा में गौ–शालाओं का निरीक्षण किया तथा ग्राम भैंसोला में सड़क मार्ग का भूमि–पूजन किया।

किसानों के बेटे बेटियों के लिए कृषक उद्यमी योजना

ग्वालियर। शासन द्वारा किसानों के बेटे–बेटियों को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से कृषि पर आधारित स्वयं का उद्योग सेवा व्यवसाय तथा उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर एमएसएमई (सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) विभाग की वेबसाइट mponline.gov.in पर निर्धारित प्रारूपों में आवेदन कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवश्यक दस्तावेज ही दर्ज होंगे।

मंत्री डॉ. साधौ ने वितरित किये फसल ऋण माफी प्रमाण-पत्र

चिकित्सा शिक्षा, आयुष और संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने खरगोन जिले के ग्राम करही में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के कार्यक्रम में पात्र किसानों को ऋण माफी के प्रमाण–पत्र वितरित किये। इसके अलावा, क्षेत्र में खरीफ के दौरान हुई अति–वृष्टि से फसल नुकसानी का 21 करोड़ 54 लाख रुपये मुआवजा प्रभावित किसानों को दिया। डॉ. साधौ ने किसानों को राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न हित–लाभ भी प्रदान किये।

महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत कुल 14 हजार 225 किसानों के 79 करोड़ 30 लाख रुपये के ऋण माफ किये गये हैं। योजना के प्रथम चरण में 6289 पात्र किसानों को 34 करोड़ 55 लाख रुपये फसल ऋण माफी के प्रमाण–पत्र प्रदान किये गये। द्वितीय चरण में विधानसभा क्षेत्र के 5936 किसानों के 44 करोड़ 75 लाख रुपये के ऋण माफ किये गये हैं।

पर्यटन स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार की कार्य-योजना बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश पर्यटन संचालक मंडल की बैठक सम्पन्न

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में मध्यप्रदेश पर्यटन संचालक मंडल की बैठक में प्रदेश के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार करने के लिए सुनियोजित कार्य–योजना बनाने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली एजेंसियों को भी इसमें शामिल करने को कहा है। संचालक मंडल द्वारा बैठक में पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कार्य–योजना स्वीकृत की गई। इससे लगभग 50 हजार बालिकाओं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन के मामले में समृद्ध प्रदेश है। हमारे यहां विविध सांस्कृतिक परिदृश्य, वन, नेशनल पार्क के साथ बड़ी संख्या में हेरिटेज संपत्ति भी उपलब्ध है। वर्तमान में जिन राज्यों में पर्यटन समृद्ध है, उसका कारण उनकी बेहतर मार्केटिंग है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश की पर्यटन संपदा के प्रचार–प्रसार के लिए प्रभावी संसाधनों का इस्तेमाल करें। उन्होंने इसके लिए पर्यटन से जुड़ी विभिन्न राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय टूर– ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट एवं होटल व्यवसाय से जुड़ी एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर उनका उपयोग करने को कहा।

देश के विभिन्न शहरों में टूर्स एवं ट्रेवल्स मीट

मुख्यमंत्री ने हेरिटेज संपत्ति के विकास और प्रमोशन के लिए देश के विभिन्न शहरों में टूर्स एवं ट्रेवल्स मीट करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पचमढ़ी में एयर स्ट्रिप का विकास करने और नेशनल पार्क के बफर एरिया में कैम्प साइट स्थापित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने टूरिज्म बोर्ड में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल करने के निर्देश दिये।

पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने पर्यटन विकास निगम और बोर्ड में कार्यरत कर्मियों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। साथ ही, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद में राज्य एवं जिला–स्तर पर समन्वय की दृष्टि से शासन–स्तर पर दो समन्वयकों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया।

पर्यटन स्थलों के बनेंगे क्लस्टर्स

बैठक में पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की स्वीकृत कार्य योजना में पर्यटन स्थलों को 20 क्लस्टर में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक क्लस्टर में 50 पर्यटन स्थलों को शामिल किया जाएगा। इनमें महिला पर्यटकों के अनुकूल वातावरण निर्माण, संबंधित जानकारी की सहज उपलब्धता एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना में सुधार किया जाएगा। इसमें पर्यटन स्थल की स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला पर्यटकों की सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं के समीप कार्य करने के लिए कौशल उन्नयन रोजगार एवं स्व–रोजगार की दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस योजना के जरिए 50 हजार महिलाओं एवं बालिकाओं को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य है।

प्रमुख सचिव पर्यटन एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री फैज अहमद किदवई ने बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वन श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग तथा पर्यटन विभाग एवं बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर (सेन्ट्रल रूल) 1956 के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समाचार पाक्षिक के स्वामित्व तथा अन्य विवरण संबंधित जानकारी

घोषणा फार्म चार (नियम 8)

1.	प्रकाशन स्थल	:	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
2.	प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
4.	प्रकाशक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
5.	सम्पादक का नाम	:	दिनेशचन्द्र शर्मा वास्ते मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, ई–8/77,शाहपुरा, भोपाल
6.	क्या भारतीय नागरिक हैं	:	हां
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या साझेदार हो।	:	**मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का हैं।**

मैं दिनेशचन्द्र शर्मा एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास से ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

दिनांक 1 मार्च 2020

(दिनेशचन्द्र शर्मा)
प्रकाशक के हस्ताक्षर

रेशम उत्पादक किसानों और बुनकरों की बेहतरी के लिये स्थापित होंगे आधुनिक उपकरण

भोपाल। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री हर्ष यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न सिल्क फेडरेशन के संचालक–मण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि रेशम उत्पादक किसानों और बुनकरों की बेहतरी के लिये आधुनिक उपकरण स्थापित किये जायेंगे। प्रथम चरण में एक मल्टी एण्ड रिलिंग मशीन स्थापित की जायेगी। आयुक्त रेशम श्री कवीन्द्र कियावत बैठक में शामिल थे।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि रेशम विभाग द्वारा ककून विक्रय के साथ स्वयं धागाकरण के कार्य को भी प्रोत्साहित किया जाये, जिससे अधिक से अधिक बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि रेशम संचालनालय और सिल्क फेडरेशन की गतिविधियाँ रेशम उत्पादक किसानों और बुनकरों के हितों को ध्यान में रखकर संचालित की जायें।

श्री यादव ने कहा कि गतिविधियों के संचालन में अच्छे परिणाम देने वाले शासकीय सेवक पुरस्कृत किये जायेंगे। साथ ही, जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही बरतने वाले शासकीय कर्मियों को दण्डित भी किया जायेगा।

रेशम उत्पादन में दूसरे स्थान पर मध्यप्रदेश

संचालक–मण्डल की बैठक में बताया गया कि देश में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश एकमात्र दूसरा राज्य है। यहाँ रेशम वस्त्रों की बुनाई और आकल्पन के काम में सहकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जा रहा है। बताया गया कि प्रदेश में आधुनिक संसाधनों के साथ रीलिंग सेंटर प्रारंभ किये जा रहे हैं। इन सेंटर्स को अधिक मात्रा में धागा तैयार करने के लिये भी प्रेरित किया जा रहा है।

संवेगात्मक बुद्धि एवं तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण

भोपाल। सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु दिनांक 20 फरवरी 2020 को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में संवेगात्मक बुद्धि एवं तनाव प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में सहकारिता विभाग के कुल 24 अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में कर्त्तव्यों एवं अधिकारों के मध्य सामंजस्य बनाते प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर तनाव का सामना करना पड़ता है। संवेदनशील व्यक्तियों को यह ज्यादा प्रभावित करता है। तनाव हमारी कार्यक्षमता एवं उसकी गुणवत्ता तथा गति दोनों को प्रभावित करता है। विभिन्न तकनीकों की सहायता से हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। कार्यालयीन कार्यकुशलता बनाए रखने, कर्मचारियों का मनोबल उंचा रखने, कार्यालयीन दायित्वों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न तनाव के उचित प्रबंधन हेतु इस प्रकार के प्रशिक्षण आवश्यक हैं।

प्रशिक्षण में संवेगात्मक बुद्धि की रचना का विज्ञान, समग्र क्षमतावर्द्धन हेतु संवेगात्मक बुद्धि , तनाव का प्रबंधन क्या, क्यों और कैसे आदि विषयों पर विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षा अधिकारी श्री एम. एन.अफाक, एवं श्री पृथ्वीराज सिन्हा द्वारा दी गई। प्रशिक्षण सत्र का समन्वय केन्द्र भोपाल की कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा किया गया।

वसूली, बिक्री अधिकारियों एवं परिसमापकों का प्रशिक्षण

भोपाल। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में दिनांक 17 से 19 एवं 24 से 26 फरवरी 2020 के दौरान वसूली, बिक्री अधिकारियों एवं परिसमापकों हेतु तीन तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण के कुल 2 सत्रों का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में जबलपुर एवं शहडोल संभागों के एवं द्वितीय सत्र में इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद तथा चंबल संभागों के प्रत्येक जिले में कार्यरत वसूली अधिकारियों एवं परिसमापकों तथा बिक्री अधिकारियों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण में सहकारिता विभाग के कुल 42 सहकारी निरीक्षकों, उप अंकेक्षकों, अंकेक्षण अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत , नियमानुसार अधिरोपित विभिन्न शास्तियो की ; न पटाए गए कृषि ऋणों, गैर कृषि ऋणों की , वसूली हेतु वसूली अधिकारी के रूप में कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार ऐसी सहकारी समितियां जो अपने निर्धारित उददेश्य को पूर्ण कर चुकीं हैं, अथवा उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहीं हैं, इन समितियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर उनका परिसमापन किया जाता है। इन अधिकारियों को परिसमापक अधिकारी के दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है।

उपरोक्त दायित्वों के निर्वहन में उपयोग आने वाले विभिन्न कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, प्रारूपों आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु आयुक्त सहकारिता मध्यप्रदेश शासन के आदेशा–नुसार प्रशिक्षण में विभिन्न विषयों जैसे– भू राजस्व संहिता अंतर्गत प्राप्त अतिरिक्त तहसीलदार की शक्तियां, वसूली की प्रक्रिया, समन तथा नोटिस की तामीली, डिक्री एवं निष्पादन की कार्यवाही, परिसमापन के संबंध में अधिनियम, नियमों में प्रावधान, सम्पत्ति का मूल्यांकन, परिसमापन की प्रक्रिया, अंतिम प्रतिवेदन तैयार करना एवं विघटन की कार्यवाही आदि पर विस्तृत जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। विषय विशेषज्ञों के रूप में श्री जे.पी. गुप्ता, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त, श्री श्रीकुमार जोशी , सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, श्री डी.के. सक्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी.के.एस. परिहार, सेवानिवृत्त प्रबंधक अपेक्स बैंक श्री संजय सिंह, ओ.एस.डी. तथा श्रीमती रश्मि गोल्या, कारपोरेट ट्रेनर शामिल रहे। प्रशिक्षण के सत्रों का समन्वय केन्द्र भोपाल के प्राचार्य श्री ए.के. जोशी के मार्गदर्शन में संघ की व्याख्याता श्रीमती रेखा पिप्पल एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा किया गया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।